मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.co.in E-mail : eanugya@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1206 भोपाल दिनांक 14 अगस्त 2019

प्रति,

(01) संयुक्त संचालक/उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा (म0प्र0)

(02) सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
.... जिला ....(म0प्र0)

विषयः–प्रदेश की मण्डी समितियों के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी भाईयों की सुविधा के लिये "हेल्पडेस्क" की स्थापना।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र क्रमांक बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1182–1183 दिनांक 31/07/2019 एवं पत्र क्रमांक/1186–1187 दिनांक 05 अगस्त 2019।

–0–

उल्लेखित विषय में आप अवगत ही हैं कि दिनांक 16 अगस्त 2019 से प्रदेश की समस्त 257 कृषि उपज मण्डी समितियों में एक साथ ई–अनुज्ञा पोर्टल का क्रियान्वयन किया जाना आरम्भ किया जा रहा है। जिसमें शतप्रतिशत ई–अनुज्ञा जारी किये जायेंगे।

2/ प्रदेश की मण्डी समितियों के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को ई–अनुज्ञा पोर्टल के लिंक https://eanugya.mp.gov.in पर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान से स्वयं भुगतान पत्रक की एण्ट्री करने एवं स्वयं ई–अनुज्ञा जारी करने की तथा प्रिंट आउट प्राप्त करने की निशुल्क सुविधा प्रदान की गई है। इस व्यवस्था में शामिल होने के इच्छूक अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों द्वारा स्वयं का पंजीयन करने/कराने पर एस.एम.एस. के माध्यम से उनके पंजीकृत मोबाईल नंबर पर ओ.टी.पी. सत्यापन उपरांत उन्हें लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्रदाय किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

3/ प्रदेश की मण्डी समितियों के ऐसे व्यापारी जिन्हें ई–अनुज्ञा पोर्टल पर कार्य की कठिनाई है अथवा आवश्यक अधोसंरचना के अभाव में असमर्थ हैं। उनकी ई–अनुज्ञा पूर्ववत मण्डी कर्मचारी द्वारा बनाकर दी जावेगी।

4/ साथ ही कार्य सुगमता की दृष्टि से ई–अनुज्ञा पोर्टल पर "व्यापारी यूजर मेनुअल" उपलब्ध कराया गया है जिसकी प्रति वे डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।

5/ यदि किसी कारणवश मण्डी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी का पासवर्ड कार्य नहीं करता है अथवा मिसिंग (गुम) हो जाता है तो उस दशा में वह अपनी मण्डी के सचिव से सम्पर्क कर उनकी लॉगिन आई.डी. से पुनः पासवर्ड प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

Sandeep

अतः समस्त मण्डी सचिवों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी मण्डी समिति के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों एवं स्थानीय व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों को उपरोक्त सुविधा की जानकारी अनिवार्य रुप से देकर उनसे चर्चा कर अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन कराने का आग्रह करें।

चूंकि प्रदेश की मण्डी समितियों के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को ई–अनुज्ञा प्रणाली को समझने व कार्य में अभ्यस्त होने के लिये थोड़ा समय लगना स्वभाविक है अतः उनकी मदद के लिये समस्त मण्डी समितियों में तत्काल एक ''हेल्पडेस्क'' स्थापित कर उपयुक्त मण्डी कर्मचारी की डयूटी लगायें ताकि मण्डी स्तर पर ही समस्या का त्वरित समाधान हो सके।

(डॉ.केदार सिंह)
अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1207 भोपाल दिनांक 14 अगस्त 2019
प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) अपर संचालक (समस्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(02) श्री ए0एन0सिद्धीकी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(03) श्री मुशर्रफ सुल्तान, तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(04) संयुक्त संचालक (नियमन)/उप संचालक (वित्त/आडिट), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल